

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

महानगर उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

बनाम

बं0

राज

मुकदमा

श्रील  
मुकदमा

दुकान या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो दुकान  
दुकान की तारीख  
में जारी हुए

17-2  
20

वर्काल वाली ने प्रा.पत्र पर पडाफती करके  
खेरा फेरा हुई। वर्काल वाली ने प्रा.पत्र  
प्रस्तुत कर प्रकरण को लागे नही चलाते  
हुए इसी स्तर पर खालि उले का विपिन  
किया। वाहीजान के हस्ताक्षर उलके जाके  
वाहीजान की पहचान की जागहीरा चम्ह  
सतीजा एड. ने की।


श्रील  
पुन  
विमला  
91  
95  
8-

अतः वाह वाहीजान हस्क मंशा  
वाहीजान खालि किया जाता है। प्रकरण  
नम्बर से बस हा। वाह लम्बील खालिहस्तर  
ही।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राज.)

11.01.2022

पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। चूंकि वादपत्र से खसरा नम्बर 400 रकबा 24 ऐयर, 401 रकबा 23 ऐयर, 399 रकबा 24 ऐयर, 397 रकबा 26 ऐयर एवं 398 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम मदनपुरी तहसील व जिला अलवर डिलीट किया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2021 में खसरा नम्बर 400 रकबा 24 ऐयर, 401 रकबा 23 ऐयर, 399 रकबा 24 ऐयर, 397 रकबा 26 ऐयर एवं 398 रकबा 25 डिलीट किया जाता है। पत्रावली दिनांक 15.03.2022 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राज०)

17.2  
22

वर्तित प्रार्थी के प्रा.पत्र पर पत्रावली मूल वाद के साथ तलक होरा पेश हुई। वाह वाहीगण हस्त मंशा वाहीगण खालि हो चुका है। अतः प्रा.पत्र भी खालि किया जाता है। प्रा.पत्र फौकल करर लक्कर के रम हो। संलग्न मूल वाद रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राज०)

साकिनी  
प्रेम  
विमला  
9d  
11  
not Press